MUNICIPAL COMMITTEE, KALANAUR

प्रेषक

पालिका अभियंता
नगर पालिका, कलानौर।

प्रेषित

सभी एजेंसियाँ/ठेकेदार/फर्म/सोसाइटी
नगर पालिका, कलानौर।

क्रमांकः एम.सी.के./2026/ 1736 दिनांकः 13/5/26

विषयः– नगर पालिका, कलानौर के अन्तर्गत विकास कार्यों के निष्पादन संबंधी आवश्यक निर्देश।

जैसा कि आपको पूर्व में भी सूचित किया जा चुका है कि नगर पालिका, कलानौर द्वारा विभिन्न विकास कार्य निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किए गए हैं। कुछ कार्य प्रगति पर हैं तथा कुछ कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं।

विकास कार्यों के सुचारू, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगाः–

निर्देशः–

1. सभी कार्य DNIT/Agreement/ कार्य आदेश में उल्लिखित शर्तों, नियमों एवं विनिर्दिष्टों के अनुसार ही किए जाएँ।

2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित एजेंसी द्वारा इस कार्यालय एवं अधोहस्ताक्षरी को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा तथा स्थल की रंगीन GPS फोटोग्राफ (स्थान, दिनांक एवं समय सहित) प्रस्तुत की जाएगी।

3. मिट्टी भराई/Earth Embankment का कार्य केवल साइट लेवल लेने के उपरांत ही किया जाएगा तथा इसके लिए संबंधित कनिष्ठ अभियंता से समन्वय किया जाए।

4. कार्य में प्रयुक्त सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। केवल ISI Mark युक्त M-40 Interlocking Tiles का ही उपयोग किया जाए तथा आवश्यक परीक्षण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाएँ।

5. सभी कार्य स्वीकत अनुमान, DNIT एवं निर्धारित मानकों के अनुसार तथा केवल स्वीकत क्षेत्र/गली में ही किए जाएँ।

6. कार्य के दौरान तथा पूर्ण होने पर रंगीन GPS फोटोग्राफ (स्थान, दिनांक एवं समय सहित) इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (C&D) कचरा केवल नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थल पर ही डाला जाएगा। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी/ठेकेदार की होगी।

8. GRAP के अन्तर्गत समय पर जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

9. सभी कार्य ई–टेंडर के माध्यम से आवंटित किए गए हैं तथा कार्य आदेश HEWP Portal से जारी किए गए हैं। अतः सभी बिल केवल HEWP Portal के माध्यम से ही निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किए जाएँ।

10. स्वीकृत अनुमान से अधिक राशि स्वीकार नहीं की जाएगी तथा स्वीकृत अनुमान में शामिल न होने वाले किसी भी Item का भुगतान नहीं किया जाएगा।

11. कार्य आदेश में निर्धारित समयावधि के उपरांत किया गया कार्य स्वीकार नहीं होगा। विलम्ब की स्थिति में नियमानुसार दंड अधिरोपित किया जाएगा।

12. कार्य की गुणवत्ता एवं मात्रा PWD विनिर्दिष्टों के अनुसार होनी चाहिए तथा उपयोग की जाने वाली सामग्री/Brand स्वीकृत सूची के अनुसार ही हो।

13. स्वीकत क्षेत्र/गली के बाहर किया गया कोई भी कार्य अनधिकृत माना जाएगा तथा ऐसे कार्य का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी/ठेकेदार की होगी।

14. सभी एजेंसियों/ठेकेदारों हेतु "Call Before You Dig (CBUD)" Mobile Application पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी प्रकार की खुदाई/सड़क कटाई कार्य से पूर्व उक्त App का उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए।

15. सभी नई निविदाओं (New Tenders) में CBUD पंजीकरण प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाएगा। बिना CBUD प्रमाण–पत्र के प्रस्तुत निविदा को अपूर्ण माना जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त कर दी जाएगी एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

MUNICIPAL COMMITTEE, KALANAUR

अतः सभी संबंधित एजेंसियो/ठेकेदारो को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें तथा संबंधित कनिष्ठ अभियंता की निगरानी में कार्य निष्पादन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही, विलम्ब अथवा अनियमितता की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी तथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

P.

पालिक अभियंता
नगर पालिका, कलानौर।

क्रमांक: एम.सी.के./2026/ 1737-39

दिनांक 13/3/26

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, नगर पालिका, कलानौर।
2. सचिव, नगर पालिका, कलानौर।
3. कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका, कलानौर को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालना सुनिश्चित करे तथा किसी भी उल्लंघन की स्थिति में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

P.

o/c

पालिक अभियंता
नगर पालिका, कलानौर।

Scanned with OKEN Scanner